## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शामली।
## अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0 7268/Admin 'G-I'/2020 Allahabad dated 02.09.2020 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 102/सात–न्याय–2– 2015–728/86 दिनांकित 18 जून 2015 के अधीन परिवार न्यायालय शामली में परामर्शदाता की आबद्धता के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन आवेदनपंत्र आमंत्रित किए जाते हैं:–

11. अर्ह व्यक्तियों से आवेदनपत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।
12. यह प्रयास किया जाएगा कि व्यक्ति उसी जिले से संबंधित हो, जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है।
13. शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जाएगा कि अर्ह व्यक्ति समाजशासत्र या मनोविज्ञज्ञन में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउंसिलिंग में जिन्हें 02 वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जाएगी।
14. विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
15. आवेदनपत्र प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जाएगी और यथासंभव एक पद के सापेक्ष 05 लोगों की सूची तैयार की जाएगी।
16. राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से संबंधित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरांत उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
17. परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के संबंध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नाम पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।
18. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारंभ में 03 वर्ष का होगा। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
19. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और वे न्यायालय में संविदा के आधार पर संम्बद्ध रहेंगे।
20. उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत परामर्शदाता के आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदनपत्र स्वप्रमाणित फोटो सहित दिनांक 30.10.2019 तक प्रशासनिक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

15.10.2020

**(अरविंद मलिक)**
प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय,
शामली स्थित कैराना।
J.O. UP-1904

## प्रेस विज्ञप्ति

परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन– निशुल्क प्रकाशन

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली 1905 के नियम 26(1) के अन्तर्गत परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन।

1. आवेदनकर्ता समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातक हो तथा उसे समाज सेवा का अनुभव हो। सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक अथवा पारिवारिक कॉन्सिलिंग में दो वर्ष के अनुभव को वरीयता।
2. आवेदनकर्ता की उम्र – 35 वर्ष से 65 वर्ष (विज्ञापन के समय)
3. कार्यकाल–परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारंभ से 03 वर्ष तक माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 02, 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
4. नियुक्ति की प्रकृति–नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। मात्र न्यायालय से संविदा के आधार पर संबंद्ध।
5. आवेदन प्राप्ति की दिनांक (16.10.2020 से 30.10.2020 सांय 05:00 बजे तक)
6. आवेदन भेजने का पता– कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शामली स्थित कैराना, जनपद शामली।
7. शुल्क– (कोई शुल्क नहीं)

**(अरविंद मलिक)**
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,
शामली स्थित कैराना, जनपद शामली।

## आवेदन पत्र का प्रारूप

फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम–
2. लिंग(पुरूष/महिला)–
3. पिता/पति का नाम–
4. जन्मतिथि–
5. स्थाई पता–
6. शैक्षिक योग्यता–

| क्र. सं. | परीक्षा का नाम | बोर्ड/संस्था का नाम | उत्तीर्ण वर्ष | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 01. | | | | |
| 02. | | | | |
| 03. | | | | |
| 04. | | | | |

7. अधिमानी योग्यता–
8. जनपद–
9. राष्ट्रीयता–
10- आरक्षित श्रेणी/उपजाति–

## घोषणा पत्र

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि–

1. मैंने विज्ञप्ति में दी गई पात्रता की शर्त सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं। वे सभी मुझे मान्य हैं और वे शर्तें भी पूरी करता/करती हूं।
2- मेरे द्वारा इस आवेदन में दिए गए समस्त विवरण/सूचनाएं सत्य एवं सही हैं और मैंने इस विवरण सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं दुपाया गया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाती है, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जावे। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त यदि ऐसी स्थिति प्रकाश में आए तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दिया जाये।

(नोट–वांछित प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)